भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3618

दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम चाय की लोकप्रियता

3618. श्री फणी भूषण चौधरी:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है;
(ख) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमिया चाय की लोकप्रियता को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और
(ग) 2024-25 के लिए असम के चाय उद्योगों के लिए नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) जी नही।

(ख) चाय बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में असम चाय सहित भारतीय चाय का नियमित रूप से संवर्धन करता है। चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संवर्धनात्मक कार्यक्रमों, मेलों एवं प्रदर्शनियों, चाय चखने एवं चाय के नमूने लेने संबंधी कार्यकलापों तथा विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों के माध्यम से असम चाय सहित भारतीय चाय का जेनेरिक संवर्धन किया जाता है।

(ग) वाणिज्य विभाग के अधीन चाय बोर्ड, असम सहित देश में चाय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। चाय विकास और संवर्धन योजना को 664.09 करोड़ के बढ़े हुए परिव्यय के साथ 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत चाय बोर्ड विभिन्न कार्यकलापों के लिए चाय उपजकर्ताओं को सहायता प्रदान करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुरानी एवं जीर्ण चाय झाड़ियों का पुनर्रोपण, चाय नर्सरियाँ लगाना, स्व-सहायता समूहों/कृषक उत्पादक संगठनों के रूप में लघु उपजकर्ताओं को एकत्रित करना तथा देश में उत्पादित चाय के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है।

असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना (एटीआईएसआईएस) असम राज्य सरकार की एक योजना है, जिसे वर्ष 2020 में अधिसूचित किया गया था। एटीआईएसआईएस के तहत घटकों में कार्यशील पूंजी पर ब्याज छूट, आर्थोडोक्स या स्पेशियलिटी चाय उत्पादन सब्सिडी, आर्थोडोक्स एवं स्पेशियलिटी चाय यूनिटों को संयंत्र एवं मशीनरी के लिए सब्सिडी तथा आयकर अवकाश शामिल है।

*****